स्वयं का मूल्यांकन क्या नारी का स्वार्थ?

समर्थ नारी गौरव

मंजू सरावगी मंजरी

अन्तरा-शब्दशक्ति प्रकाशन

स्वयं का मूल्यांकन...
क्या नारी का स्वार्थ

मंजू सरावगी 'मंजरी'

अन्तरा शब्दशक्ति प्रकाशन
वारासिवनी, मध्यप्रदेश

978-93-90995-27-1

संपादक- डॉ. प्रीति समकित सुराना
तकनीकी संपादक एवं आवरण चित्र- संदीप कुमार सोनी, वारासिवनी
मुख्य कार्यालय- 15 नेहरू चौक, वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) 481331
मोबाईल- 9424765259, 9009465259
ईमेल- antrashabdshakti@gmail-com
वेबसाईट- www.antrashabdshakti
प्रथम संस्करण - मंजू सरावगी 'मंजरी' 2021
मूल्य- 50.00 रूपये
मुद्रक- शैलू कम्प्युटर्स, वारासिवनी

THE BOOK WRITTEN BY MANJU SARAVGEE 'MANJRI'

वैधानिक चेतावनीः- इस पुस्तक का सर्वाधिकार सुरक्षित है। लेखक की लिखित अनुमति के बिना इसके किसी भी अंश को फोटोकॉपी एवं रिकार्डिंग सहित इलेक्ट्रोनिक अथवा मशीनी किसी भी माध्यम में अथवा संग्रहण और पुनर्प्रयोग की प्रणाली द्वारा किसी भी रूप में पुनरूत्पादित अथवा संचारित प्रसारित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत पुस्तक की समस्त रचनाएँ लेखक द्वारा अन्तरा-शब्दशक्ति प्रकाशन को प्रेषित की गई है। अतः प्रत्येक रचना की मौलिकता के किसी भी दावे हेतु लेखक जिम्मेदार है। प्रस्तुत पुस्तक के घटनाक्रम पात्र, भाषाशैली एवं स्थान सभी लेखक की कल्पना है। किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के लिए प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

स्वयं का मूल्यांकन... क्या नारी का स्वार्थ

समाज में नारी का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें स्वयं का मूल्यांकन करने और अपने गुण दोष को परखने की, समझने की सुधार करने की, सृजन करने की अद्भुत शक्ति विधाता ने दी है। महिला स्वयं की शक्ति में भूल जाती है, वह स्वयं को अबला समझने की भूल करती है लेकिन जब भी वह अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा से कार्य करती है तो पहले यही सोचती है कि घर परिवार, समाज रिश्ते दार भाई बहन, माता पिता और बच्चे भी मुझे स्वार्थी न समझने लगे और उसके मन की यही सोच उसे कमज़ोर बना देती है।

महिला सशक्त होते हुए भी अबला बनी हुई है। महिला शक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को आध्यात्मिक, समाजिक, राजनैतिक, और आर्थिर्क, धार्मिक सभी बातों में अपनी इच्छा से निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, ऐसा नहीं है कि इन सब बातों का या शक्ति का नारी को ज्ञान नहीं है। वह समय अपनी क्षमता जानती है पर उसका प्रयोग अपने जीवन में नहीं करती है और नारी के मन में उसके दबे हुए आत्मविश्वास को जगा कर चेतना प्रदान करना है।

महिलाओं को महिला शक्ति की आवश्यकता आखिर क्यूँ... इसका कारण यही है कि समाज पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पर महिलाओं का पूर्ण शोषण होता है जबकि समाज में 50/ प्रतिशत महिला है फिर भी उनका अस्तित्व कोई नहीं होता है। नारी को समाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक या

राजनीतिक स्थिति में शोषण का शिकार होना पड़ता है, घरेलू हिंसा, मारपीट, मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता है घर बाहर, दफ्तर, कंपनी या कोई भी कार्यस्थल पर उनका शोषण होता है उनको घर के अंदर खाना बनाने, बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना, बस यही कर्तव्य समझे जाते हैं और किसी भी अधिकार नहीं दिया जाता है।

प्राचीन काल में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी नारी को सम्मान दिया जाता था उनको अपनी जिंदगी अपने तरिके से जीने का पूरा अवसर दिया जाता था. सतयुग, त्रेता युग या भारतीय प्राचीन इतिहास देखा जाये तो नारी पढ़ी लिखी विदूषी और शक्ति पूर्ण होती थी, उनको उनकी इच्छा के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अवसर मिलता था। तलवार बाजी करना तोपबाजी धनुष शिक्षा इत्यादि का अधिकार

था स्वयंवर हुआ करते थे नारी अपनी पसंद से शादी कर सकती थी।

मध्य कालीन समय से नारी की र्दुदशा होने लगी, मध्य कालीन समय विशेष कर भारतीय महिला के लिए बहुत बेकार साबित हुआ जब मुगल बादशाह शासक के रूप में आये तभी से भारतीय स्त्रियों का सम्मान खत्म हुआ, पर्दा प्रथा, घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण, और स्त्री पुरुष में भेदभाव।

भारत में नारी को देवी के समान पूजा जाता था, माँ पत्नी, बहन बेटी भाभी सभी रूपों में सम्मान दिया जाता था। शास्त्र शिक्षा, अस्त्र शस्त्र शिक्षा लड़की को भी उसी तरह दी जाती थी जैसे पुरुषों को दी जाती है।

महारानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, रानी लक्ष्मीबाई आदि सभी इसके उदाहरण है रानी पद्मावती ने अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया था जो इतिहास

में अजर अमर हो गया है पन्ना धाय के बलिदान को कोई भूला नहीं है।

भारत में अनेकों रीति रिवाज मान्यताओं के और प्रथाओं को अलग अलग प्रान्तों में अलग अलग ढंग से माना जाता है जिसके फलस्वरूप औरतों को समाजिक कठनाई का सामना करना पड़ता है, अपूर्ण शिक्षा, गरीबी और रूढ़िवादी वादी दृष्टि कोण के कारण महिलाओं पर आर्थिक और समाजिक प्रतिबंध लगाये जाते हैं और उनके साथ भेदभाव किया जाता है भारतीय समाज में शहरों में कुछ महिलाओं को ही अपने अधिकार मालूम है और वह ही घर से निकल कर कुछ कर रहीं हैं।

भारत में गाँव की महिलाओं की अपेक्षा शहर की महिलाओं ज्यादा शोषण का शिकार होती है गाँव में सभी महिलाओं मजदूरी करती है पर इतना शोषण नहीं

होता जितना कि शहरों में काम काजी महिलाओं को परेशान होना पड़ता है. महिलाओं को पूरूष के बराबर का न तो वेतन दिया जाता है ना ही उनके काम को अहमियत दी जाती है पुरूषों में शिक्षा 60 प्रतिशत है तो औरतों की शिक्षा सिर्फ 23 से 27 प्रतिशत ही रहतीं है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता यहाँ की जटिल रीति रिवाज और रूढ़िवादी स्वरूप के अति आवश्यक है जिससे उनमें आत्मशक्ति जगाकर आत्मविश्वास उत्पन्न किया जा सकें। उन्होंने रोजगार, नौकरी और कला की शिक्षा के जरिये स्वालंबी बनाया जा सकें।

1908 में पहली बार न्यूयॉर्क में15000 महिलाओं ने सड़क पर उतर कर अपने अधिकरों के लिए खड़ी हुई थी। क्लारा जेडकिंड ने 1910 में महिलाओं के लिए

महिला दिवस मनाने की जरूरत महसूस करके प्रस्ताव रखा था।

अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख को महिला दिवस मनाया जाता था 1975 में औपचारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला दिवस 8 मार्च को मनाने का निर्णय लिया था और 1998 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थीम के तहत मनाया जाता है,,,,,।

भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को कवित्री सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है।

सरोजनी नायडू एक अच्छी साहित्य कार, रचना कार और राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकर्ता थी सरोजनी नायडू देश की पहली राज्य पाल बनी सरोजनी नायडू देश की पहली औरत थी जिसने औरतो के अधिकारों

के लिए संघर्ष किये और उनके लिए कई संगठन बनाये उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है उनके जन्म दिवस 13 फरवरी 2014 को उनके 135 जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया,,,,,,,,,,।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए शासन ने बहुत से स्थायी कदम उठाये है भारतीय संविधान में 1993 में 73 वे और 74 वे संशोधन में के तहत बहुत से कानूनी अधिकार दिये गये। गाँव में पंचायत, जनपद, आदि को महिलाओं के लिए विशेष ईकाइयों का गठन किया गया।

समान वेतन का अधिकार इस तरह के कानून के तहत लिंग भेद से भेदभाव नही किया जायेगा जितना वेतन पुरुष को उतना औरतों को दिया जायेगा। कार्य-स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून,,,,,, इसमें महिला अधिनियम के तहत अपने साथ हुए उत्पीड़न

के लिए शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए नये नियम लागू किये है जिसमें जाँच लंबित रहने पर 90 दिन की पैड लीव ले सकती है।

कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार

<u>संपत्ति का अधिकार</u>

गरिमा और शालीनता का अधिकार इस अधिकार के अंर्तगत महिला सशक्तिकरण अपराधी के लिए महिला पुलिस का होना आवश्यक है।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के समाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया. जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और आंध्रप्रदेश के साथ ही दूसरे अन्य प्रदेशों में भी भारी मात्रा में महिलाएँ ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गई।

संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पास कुछ अधिनियम कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अधिनियम

1/ अनैतिक व्यापार

2/ दहेज रोक अधिनियम 1961

3/ एक बराबर परिश्रिमिक एक्ट 1976

4/ मेडिकल टर्म्नेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987

5/ लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994

6/ बाल विवाह रोक थाम एक्ट 2006

7/ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013*

महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है बदलते समय में आधुनिक युग की नारी पेढ़ लिखी तकनीकी सज्ञान से पूर्ण परिचित होतीं हैं इसलिए

उनको हर काम संभव लगता है कुछ भी काम नारी के लिए नामुमकिन नहीं है।

भारत में ही नहीं सारे विश्व में आज नारी का परचम लहरा रहा है धरती से आकाश तक हर जगह नारी ने अपना अधिकार कर लिया है चाहे खुला आसमान हो या धरा का विशाल हदय,,,,,, सब महिला के अधिकार में है,,,,, महिला सशक्तिकरण के लिए भारत में बहुत से उपाय विभिन्न महिलाओं द्वारा किये जाते हैं उनको कितने अधिकार है इसका अंदाज तो इसी से लगाया जा सकता है कि

- भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी,,,,,,, श्रीमति इंद्रा गाँधी
- भारत में सबसे पहले महिला राष्ट्र पति बनी,,,,, श्रीमती प्रतिभा पाटिल
- कल्पना चावला

- विदेश मंत्री सुषमा स्वराज
- दो-दो महिला स्पीकर बनी सांसद में
- जल सेना, थल सेना वायु सेना सब पर महिला कार्यकर्ता हैं
- साफ्टवेयर कंपनी पर महिला कार्यकर्ता अधिक है

ऐसा कोई काम नहीं सायकिल से लेकर हवाई जहाज तक,,,,,,,, घर कि किचन से आकाश की विशालता, सागर की गहराई सब कुछ पर नारी का अधिकार है,,,,,,,,,

हरियाणा की एक औरत ने अपने परिचय में कहा कि,,,,,,, मैं वह महिला हूँ जिसने अपनी बेटी को मारने का प्रयास किया था पर असफल रही,,,,,,

उस महिला ने बताया कि उसकी तीसरी पुत्री के जन्म पर पति ने कहा कि वह अपनी बेटी को मार

सकती तभी वह घर आये और उसने दिसंबर की कड़कती ठंड में बच्ची को बिना कपड़े का धरती पर खुले आसमान के नीचे रखा और स्वयं दरवाजे पर बैठकर सुबह तक उसके मरने का इंतजार करती रही जब सुबह उसने देखा कि उसकी बेटी नीली पड़ गई है ठंड के कारण,,,, पर जिंदा है और उसने उसी समय मन में ठान लिया कि मैं इस बेटी को बचाउँगी,,,,,,, जब रात भर बेटी ठंड से लड़ जिंदा रहने सकती है तो फिर मैं पति से लड़कर बेटी को जिंदा रखूँगी और बेटी को पढाऺऊँगी।

आज हमारे यहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना चल रही है। महिला अपनी खुशी के लिए जीवन जी रही है और उनकी स्वयं कि खुशी के लिए उनका जिंदा रहना क्या उनका स्वर्थी है क्या नारी अपना मूल्यांकन स्वयं करती है तो क्या वह स्वार्थी

है,,,,,,,, महिला सशक्तिकरण के ध्यान में रखकर जीवन अपने लिए अपनो के साथ जीना है वह क्या स्वार्थपन है,,,,,।

अमृता प्रीतम की इस रचना के साथ,,,,,।

तोड़ कर पिंजरा आसमान में उड़ जाऊँगी
धरती से अंबर तक खुशियाँ फैलाऊँगी,,,,।

मंजू सरावगी 'मंजरी'
रायपुर छत्तीसगढ़

हिन्द व हिन्दी का सम्मान
है प्रमाण देशभक्ति का
आइए करें
सृजन शब्द से शक्ति का

मंजू सरावगी मंजरी

ईश्वर की अनुपम कृति हूँ

नहीं किया जग में कोई काम बड़ा
नहीं कमाया दुनिया में कोई नाम बड़ा
फिर भी! मैं,,,,,,गर्व से गर्वित हूँ
क्योंकि,,,,,मैं एक ग्रहणी हूँ
हाँ मुझे गर्व है,,,मैं,, स्त्री हूँ

पापा मम्मी प्यार से कंधा थपथपाते है
दादा दादी गर्वित हो, मुझे गले लगाते हैं
भाई गर्व से कहता बहना प्यारी
तुम तो,,,हो,,,खुशियों की फुलवारी
गर्व होता है मुझको,,,, मैं,,, हूँ,, नारी
दो कुलों की मुझपर है जिम्मेदारी
दोनों हाथों से,,, मैं,,, खुशियाँ समेट लाती हूँ
हाँ,,,, मुझे गर्व है,,, मैं एक नारी हूँ

मम्मी,, मम्मी,, का मचाते बच्चे शोर
थामकर हाथों में अपने,,,आँचल का छोर
मन के सागर लेता है ममता की हिलोर
मजबूत बहुत है ये,,, रिश्ते की डोर
पति के मन आँगन में खिलता
मेरा मन यौवन

साजन की बाहों में होता,,मेरा महकता तन
जब कहते पति कानों में,,, मेरी रानी प्यारी
तुम्हारे बिना है,,,,अधूरी जिंदगी ये हमारी
इस घर मंदिर की धरती ,,,,आसमान हूँ
संसार जगत की मैं मूरत प्यारी न्यारी हूँ
हाँ,,, मुझे गर्व है,,,, मैं एक नारी हूँ

पं.क्र. (04/21/05/207665/19)
अन्तरा शब्दशक्ति
प्रकाशन एवं संस्था – 9424765259

15, नेहरु चौक, मेन रोड वारासिवनी, जिला – बालाघाट (म.प्र.), पिन 481331
संपर्क – 9424765259, अणुडाक: antrashabdshakti@gmail.com
अन्तरा शब्दशक्ति के लिंक्स
Website:- www.antrashabdshakti.com
Facebook page:- https://www.facebook.com/antrashabdshakti/
Fecbook group:- https://www.facebook.com/groups/antraashabdshakti/

मूल्य 50/–
978-93-90995-27-1